2020/00196

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्रीमती सीमा भाटिया पत्नि रमेश भाटिया जाति घांची निवासी पिण्डवाड़ा व अन्य 1।		सरकार जरिये तहसीदार पिण्ड़वाड़ा व अन्य 2

किस्म मुकदमा– स्थगन प्रार्थना–पत्र मुकदमा नं. 16 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.08.2020	प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना–पत्र उपतहसीलदार, भावरी के मुकदमा संख्या 163/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के साथ–साथ धारा 81 के तहत यह स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होकर पत्रावली दिनांक 01.09.2020 को पेश हो । जिला कलक्टर, सिरोही	
2-9-20	दिनांक 1-9-20 को अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेश हुई। कलक्टर महोदय जोधपुर पधारे है। पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो। RSC	
15.09.2020	अपीलांट अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । दोनो पक्षो की बहस सुनी गई । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.09.2020 को पेश हो । जिला कलक्टर, सिरोही	
22.09.2020	अपीलांट अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । मूल अपील में आज निर्णय पारित कर अपील खारिज किये जाकर आदेश पारित किये गये है। अतः इस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से इसे खारिज किया जाता हैं । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner